अनुदान संख्या 105 – युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 105–MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	977,29,00		1528,39,00	1394,55,33	–133,83,67
पूरक	Supplementary	551,10,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					106,39,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	134,52,00		171,02,00	170,95,71	–6,29
पूरक	Supplementary	36,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (13383.67 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 55110.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13383.67 lakhs) constituted 24 percent of supplementary grants of Rs.55110.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	76469.00	129595.70	129062.90	–532.80
पू.	S.	54962.00			
पु.	R.	–1835.30			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6645.00	1872.69	. .	–1872.69
पु.	R.	–4772.31			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	13615.00	9497.86	9211.00	–286.86
पु.	R.	–4117.14			

(I) 8858.00 लाख रु. का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 8545.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204'' - ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''अशक्त व्यक्तियों के बीच खेलों को बढ़ावा'' - 500.00 लाख रु.;

(ख) ''विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलकूद और खेलों को बढ़ावा देने की स्कीम'' - 800.00 लाख रु.; और

(ग) ''नगरपालिका युवा क्रीडा और खेल अभियान'' - 900.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान बाह्य अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की वजह से स्कीम को अंतिम रुप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.8858.00 lakhs remained wholly unutilised under nineteen heads; of these Rs.8545.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" – "Sports and Games" -

(a) "Promotion of Sports among disabled"- Rs.500.00 lakhs;

(b) "Scheme for Promotion of Sports and Games in Schools, Colleges and Universities" - Rs.800.00 lakhs; and

(c) "Nagar Palika Yuva Krida aur khel Abhiyan (NYKKA)" - Rs.900.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-finalisation of the scheme owing to conduction of programmes by external agencies.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र" - 1000.00 लाख रु.;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं" -

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - 900.00 लाख रु.;

(ii) "राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम" - 250.00 लाख रु.;

(iii) "युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - 195.00 लाख रु.;

(ग) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" -

(i) "भारतीय खेल प्राधिकरण" - 1700.00 लाख रु.;

(ii) "खिलाडियों को प्रोत्साहन" - 250.00 लाख रु.;

(iii) "खेलकूद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता" - 300.00 लाख रु.;

(iv) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" - 300.00 लाख रु.;

(v) "पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान" - 1450.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने और कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2552"-

(a) "Sports and Youth Services – Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra" - Rs.1000.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services" –

(i) "National Service Scheme" - Rs.900.00 lakhs;

(ii) "National Volunteers Scheme"- Rs.250.00 lakhs;

(iii) "National Programme for Youth and Adolescent Development"- Rs.195.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services- Sports and Games"-

(i) "Sports Authority of India" - Rs.1700.00 lakhs;

(ii) "Incentive to Sports Persons"- Rs.250.00 lakhs;

(iii) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- Rs.300.00 lakhs;

(iv) "Laxmibai National Institute of Physical Education"-Rs.300.00 lakhs;

(v) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"-Rs.1450.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount and reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less viable proposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 881.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 156.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1037.90 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 438.77 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से वेतन और अन्य दावों की प्रतिपूर्ति के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर'' - 2800.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 75.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2875.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 175.50 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(गा) ''गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अनुदान'' - 965.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 975.20 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 75.20 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र संगठन'' - 8900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1104.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10004.20 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने और कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2204" remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Direction and Administration - National Service Scheme" – the original provision of Rs.881.90 lakhs was augmented to Rs.1037.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.156.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.438.77 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals from various regional centres for reimbursement of salary and other claims.

(B) "Physical Education - Laxmibai National Institute of Physical Education, Gwalior" – the original provision of Rs.2800.00 lakhs was augmented to Rs.2875.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.75.50 lakhs. However, there was a saving of Rs.175.50 lakhs (including supplementary grant); and

(C) "Youth Welfare Programmes for Non Students – Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development" – the original provision of Rs.965.00 lakhs was augmented to Rs.975.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.20 lakhs. However, there was a saving of Rs.75.20 lakhs (including supplementary grant).

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less number of viable proposals.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2204" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" – the original provision of Rs.8900.00 lakhs was augmented to Rs.10004.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1104.20 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.167.44

से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण 167.44 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''खेलकूद और खेल - भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 18100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2715.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 20815.10 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण 465.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' -

(क) ''पुनरभिविन्यास और अनुसंधान केंद्र'' - 153.80 लाख रु. की बचत (233.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''स्काउटिंग और मार्गदर्शक'' - 127.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में शिविर कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''गैर-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम'' - 355.00 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''खेलकूद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता'' - 1550.80 लाख रु. की बचत (5900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''मादक औषध रोधी कार्यकलाप'' - 103.36 लाख रु. की बचत (675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

lakhs - due to availability of unspent balance of previous years and reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less number of viable proposals.

(B) "Sports and Games - Sports Authority of India"- the original provision of Rs.18100.00 lakhs was augmented to Rs.20815.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2715.10 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.465.10 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less number of viable proposals.

(IV) Under Major Head "2204"–savings occurred under the following heads:-

(A) "Youth Welfare Programmes for Students"-

(a) "Reorientation and Research Centre (NSS)" - saving of Rs.153.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.233.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals.

(b) "Scouting and Guiding"- saving of Rs.127.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to conduction of less number of camp programmes and trainings.

(B) "Youth Welfare Programmes for Non-Students – National Volunteer Scheme"- saving of Rs.355.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs);

(C) "Sports and Games" -

(a) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- saving of Rs.1550.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5900.00 lakhs);

(b) "Anti-Doping Activities" - saving of Rs.103.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.675.00 lakhs); and

(ग) ''पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान'' - 682.26 लाख रु.की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" - saving of Rs.682.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less number of viable proposals.

(घा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का विनिमय'' - 123.27 लाख रु. की बचत (335.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) युवा प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रमों का विनिमय कम संख्या में किए जाने के कारण हुई।

(D) "International Cooperation - Exchange of Delegation of Youth at International level" - saving of Rs.123.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.335.00 lakhs) was due to conducting of less number of exchange of Youth Delegation Programmes.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 205.98 लाख रु. की बचत (260.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में नियमित और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Non-Plan Grants –Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Students - National Service Scheme" – saving of Rs.205.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.260.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for conducting regular and special programmes in States.

(खा) '' केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(B) "Grants for Central Plan Schemes" –

(क) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' - 2954.55 लाख रु. की बचत (7688.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students – National Service Scheme"- saving of Rs.2954.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7688.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from the State Governments.

(ख) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान'' - 1167.74 लाख रु. की बचत (5050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Sports and Youth Services – Sports and Games - Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" - saving of Rs.1167.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5050.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less number of viable proposals.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 293.99 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under four heads savings of Rs.293.99 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 30 percent to 78 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4533.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2204" - "खेलकूद और खेल" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (Rs.4533.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head "2204" - "Sports and Games" - under the following heads: -

(I) "राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि" - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.75 लाख रु. था।

(I) "National Sports Development Fund" - Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.75 lakhs.

(II) "राष्ट्रमंडल खेल" - 3933.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3883.30 लाख रु. था।

(II) "Commonwealth Games"- Rs.3933.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3883.30 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नानुसार हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred as under:-

(I) 78.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.78.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 71.71 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

4. The above savings were partly offset by an excess of Rs.71.71 lakhs under one head constituting 29 percent of the total sanctioned provision.